

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2020

जयपुर, दिनांक : 05.11.2020

शुद्धि आदेश
गेहूं आवंटन आदेश माह दिसम्बर, 2020
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.10.2020, जिसके द्वारा खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2020 हेतु गेहूं का आवंटन किया गया था, में अंकित नोट – “इसपर होने वाले सभी प्रकार के व्यय का भुगतान जिला रसद अधिकारी स्तर से न किया जाकर Centralised किया जायेगा” को विलोपित किया जाता है।

माह दिसम्बर, 2020 हेतु खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित गेहूं के पेटे होने वाले सभी प्रकार के व्यय का भुगतान पूर्वानुसार जिला रसद अधिकारी स्तर से किया जावेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।

Xm/21/11/2020
(अशोक कुमार सांखला)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

क्रमांक:एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2020

जयपुर, दिनांक : 05.11.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य)/उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
7. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
9. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित गेहूं की राशि समय पर जमा कर, नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूं का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें।
10. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Xm/
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव